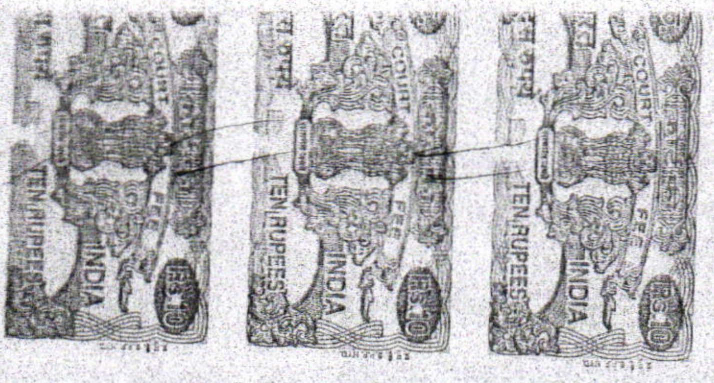

निगरानी क. ..../17

न्यायालय श्रीमान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मेम्बरान महोदय,

ग्वालियर केम्प, संभाग उज्जैन (म.प्र.)

PBR/निगरानी/रतलाम/भू.रा/2018/0070

1– केसुराम पिता कचरूजी, जाति भील
2– काना पिता कचरूजी, जाति भील
निवासी– ग्राम दुधाखेड़ी,
तह. जावरा जिला रतलाम (म.प्र.) .....निगरानीकर्ता/प्रार्थीगण

विरूद्ध

1– म.प्र.शासन द्वारा राजस्व निरीक्षक महोदय,
जावरा जिला रतलाम (म.प्र.)
2– बद्रीलाल पिता अमराजी जाति गायरी
निवासी–ग्राम मौकाखेड़ा,
तह. जावरा जिला रतलाम (म.प्र.)

........रेस्पोन्डेट्स/प्रतिप्रार्थीगण

दिनांक 13-12-2017

-: निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. के अन्तर्गत अपीलाण्ट माननीय अपर कलेक्टर जिला रतलाम द्वारा अनुमति प्रकरण क्रमांक 39/अ–21/16–17 में पारित आदेश दिनांक 12.10.2017 से असंतुष्ट होकर निगरानी अन्दर अवधि में प्रस्तुत करता हैं :–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/निगरानी/रतलाम/भूरा/18/0070 जिला रतलाम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–2–2018	आवेदकपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । कलेक्टर जिला रतलाम द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–10–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । कलेक्टर द्वारा विस्तृत आदेश पारित करते हुये आवेदक का संहिता की धारा 165(6) का आवेदन पत्र निरस्त किया है, क्योंकि भूमि अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा धारित है इसलिये कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना विक्रय पत्र संपादित नहीं किया जा सकता है । कलेक्टर के आदेश में प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	